महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः तकनीकी/ई-प्रिजन/2019/ 55164-246 दिनांक : 8-12-2020

आदेश

राज्य की कारागृहों में निरूद्ध बंदियों से परिजन/मुलाकाती की वीडियों कॉलिंग के माध्यम से मुलाकात हेतु ई-मुलाकात (Video Calling) व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इस संबंध में इस कार्यालय से पूर्व में प्रसारित आदेश 164-177 दिनांक 03.04.2020 एवं 4888-4996 दिनांक 08.05.2020 में परिजन/मुलाकाती से ई-मुलाकात का समय पूर्व में निर्धारित नहीं किया गया है। यह संज्ञान में आया है कि कई कारागृहों पर अधिक समय तक ई-मुलाकात करवाई जा रही है, जिससे शेष बंदियों की ई-मुलाकात नहीं हो पाती है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए तथा ई-मुलाकात (Video Calling) व्यवस्था में राज्य की कारागृहों में एकरूपता हेतु बंदियों से परिजन/मुलाकाती का मुलाकात समय 05 मिनिट निर्धारित किया जाता है। इस दौरान वीडियों कॉलिंग निर्बाध हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उक्त आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक (कारागार) पुलिस
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. समस्त अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
5. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
6. अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)।
7. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, राजस्थान।
8. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, महानिरीक्षक पुलिस (कारागार), राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
13. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
14. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल को वास्त अपलोड हेतु।

महानिरीक्षक (कारागार) पुलिस
राजस्थान, जयपुर